बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

विज्ञप्ति

सरकार के संकल्प संख्या–1157, दिनांक–29.08.2020 के आलोक में राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों/पुस्तकालयाध्यक्षों को 01.04.2021 के प्रभाव से 15 प्रतिशत वेतन वृद्वि करने का निर्णय है। इस क्रम में विभागीय आदेश संख्या–1816 दिनांक–12.11.2021 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किया गया है।

उक्त के आलोक में NIC द्वारा वेतन निर्धारण हेतु Online Calculator तैयार की गई है। उक्त निमित विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों का डाटा दिनांक–20.01.2022 तक Upload किया जाएगा। तदोपरांत सभी संबंधित शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष Upload किये गये डाटा को Medhasoft के अपने विद्यालय के Login-Id से Login कर UAN No./Aadhar No./जन्म तिथि प्रविष्ट कर व्यक्तिगत विवरणी का अवलोकन कर सकते हैं। व्यक्तिगत विवरणी में कोई त्रुटि परिलक्षित होने पर अपनी दावा/आपत्ति अपने विद्यालय के Login-Id पर Online अपलोड कर सकते हैं। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) अपने Log-in से प्राप्त आपत्ति का निराकरण करेगे।

उक्त संदर्भ में सभी हितधारकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय द्वारा त्रुटि रहित डाटा पोर्टल पर Upload करने एवं वेतन निर्धारण के उपरांत वेतन पर्ची निर्गत करने हेतु कार्यक्रम निम्नवत् निर्धारित किए जाते हैः–

क्रं0	कार्यक्रम	तिथि
1	जिला द्वारा पोर्टल पर डाटा Upload करने की अंतिम तिथि	20.01.2022 संध्या 5:00 बजे तक
2	शिक्षकों/पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन निर्धारण में त्रुटि परिलक्षित होने पर Online Portal पर आपत्ति दर्ज करने की तिथि	21.01.2021 से 25.01.2022 संध्या 5:00 बजे तक
3	शिक्षकों/ पुस्तकालयाध्यक्षों का वेतन–पर्ची निर्गत किए जाने की तिथि	27.01.2022 10.00 बजे पूर्वाह्न से

सभी शिक्षकों/पुस्तकालयाध्यक्षों का वेतन पर्ची जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) के अनुमोदनोपरांत डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत किया जाएगा, जिसके आधार पर जनवरी, 2022 का वेतन भुगतान पुनरीक्षित दर पर किया जा सकेगा।

19/1/22

(मनोज कुमार)
निदेशक (मा०शि०)–सह–
विशेष सचिव,शिक्षा विभाग।

D:/Press release 2019 (35)